an>

Title: Need to amend Section 6 of Labour Law, 1936 for the benefit of workers in the country.

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में लेबर कानून 1936 की क्लाज़ नः 6 में कहा गया है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी सिक्के में या करंसी में दी जाए और मांगने पर ही चैक द्वारा भुगतान किया जाए।

महोदय, हमारे देश में अगर मजदूर बैंक द्वारा अपनी सैलरी मांगता है तो उसे नौकरी से निकालने का डर बना रहता है क्योंकि, उन्हें नगद पैसा कम दिया जाता है और हस्ताक्षर ज्यादा एमाउंट पर कराए जाते हैं चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर है या भट्ठा मजदूर हैं या किसी और तरह के भी काम करने वाले हों। कुछ मजदूर संगठनों ने मंत्री जी को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के जबाव में कहा गया कि सभी मजदूरों के पास बैंक खाते नहीं हैं और लेबर कानून 1936 की क्लाज़ संख्या-6 को बदल नहीं सकते हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जन-धन योजना के तहत सभी नागरिक अपना बैंक खाता खुलवा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मजदूरों को उनकी मजदूरी बैंक के जरिए से दी जाए, चैक द्वारा दी जाए। इससे काले धन की समस्या पर भी रोक लगेगी और मजदूरों को भी उनकी पूरी मजदूरी मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गणेश सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल।